फाइल सं. ए.12018/ 67/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर पशिचम बंगाल में लेखाकार समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर पशिचम बंगाल में लेखाकार समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 508-डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। shorn.singh27@gov.in

शोरन सिंह

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061436

नई दिल्ली

दिनांक : 26/06/21

[भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख..........,2021

अधिसूचना

सा. का. नि............ -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, लेखाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्तीः के लिए शैक्षिक अर्हताएं। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| लेखाकार। | *01(2021) *(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29,200/ - 92,300/-रु.)। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोनत्त व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित)/प्रोन्नति | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित):<br><br>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो-<br><br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार | लागू नहीं होता। | 1. लागू नहीं |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पर सदृश पद धारण करते हैं; या<br><br>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रू. 25500-81100) के वेतन लेवल-4 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद रोकड़िया के ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखते है, और<br><br>(ख) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक पूरा किया हो<br><br>बाहरी उम्मीदवारों के साथ ऐसे विभागीय रोकड़िया पर भी विचार किया जाएगा, जो वेतन मैट्रिक्स (रू. 25500-81100) के वेतन लेवल-4 में ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | हैं, और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होने पर पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।<br><br>(फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। | | |

सं. ए.12018/67/2019-कुष्ठ

(शोरन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार